

क्रमांक/ 1211/2023/10-11/3899

भोपाल, दिनांक 24.7.24

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),

मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन, बैतूल, मध्यप्रदेश

Divisional Forest Officer,
Madhya Pradesh Betul (T.D.O.)

विषय:- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वन मण्डल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वन मण्डल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेलवे, नागपुर डिवीजन, बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/ 150074/2021)

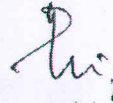
संदर्भ:- भारत सरकार, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPR027/2023-BHO/ दिनांक 22.07.2024

-----0-----

उपरोक्त ऑनलाईन प्रकरण का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी तैयार कर पोर्टल में अपलोड कर इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

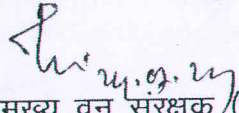
भोपाल, दिनांक 24.7.24

पृ. क्रमांक/ एफ-5/1211/2023/10-11/3899

प्रतिलिपि:-

- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बैतूल एवं नर्मदापुरम (होशंगाबाद) वृत्त, मध्यप्रदेश।
 - वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) एवं उत्तर बैतूल, म.प्र.।
- की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय बैतूल वृत्त बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक/ DM/ 2333

बैतूल, दिनांक 24/7/24

प्रतिलिपि:- व.स.अ. (उत्तर मध्य प्रदेश) नागपुर डिवीजन
को भेजने के लिए आवश्यक
गोपनीय लेख को भेजें।

कार्यालय वन मंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा.) वन मंडल

क्र.मा.वि. 4538

बैतूल, दिनांक 13/08/24

वन संरक्षक
उत्तर बैतूल

प्रतिलिपि:-

E:\Rakesh\02024\2 MISC 23-05-23 to 17-07-2024.docx

उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन बैतूल की ओर सूचना प्रेषित
कर लेख है कि संलग्न पत्र में 02 बिन्दुओं की चाही गई जानकारी निर्देशानुसार तैयार कर
पोर्टल में अपलोड कर इस कार्यालय को भेजें जावे।
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वन मंडलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kerndriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: G-एमपीआर 027/2023-वीएचओ

दिनांक 22/07/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से दोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमण्डल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे नागपुर डिवीजन को उपयोग पर देने बाबत (online proposal No. FP/MP/RAIL/150074/2021)।

संदर्भ: 1. नोटल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1211/2022/10-11/2838 दिनांक 30/05/2024.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/1/76891 दिनांक 12/07/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 28/06/2024 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 12/07/2024 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. It is observed that the project is regarding laying of third Railway line which is a linear project in continuum whereas the KML shows that the area for diversion is fragmented. The User Agency shall submit a proper justification with required documentary evidence w.r.t status of abandoned patches in between isolated polygons proposed for diversion as shown in the KML file for area in Hoshangabad and North Betul Forest Divisions.
2. In view of guideline dated 27/12/2023, compensatory afforestation shall be carried out on equivalent non-forest land or double revenue forest land (Chote Bade Jhad ka Jungle) which is not in possession of the State Forest Department and accordingly the compensatory scheme, suitability certificate of non encumbrances, digital map and KML of the area shall be submitted.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

Signed by Yogesh Gairola

Date: 22-07-2024 10:40:45

(डा. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वातकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोटल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।